

श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान इन्दौर

अत्यावश्यक-सूचना पत्र

पोस्ट/2022/707

दिनांक 14/11/2022


विषय :- मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन योजना) वर्ष 2022-23 हेतु सूचना पत्र। 6 NOV 2022

संदर्भ :- मध्यप्रदेश शासन तकनीकी कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14-2/2008/42-2 दिनांक 09/07/2018


संस्थान के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों की संतानों को निशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना लागू की गयी है, योजना की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग में विद्यार्थियों के माता/पिता का असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हो।
2. कोई भी विद्यार्थी जिसने जेईई मेन्स परीक्षा में 1 लाख 50 हजार तक रैंक प्राप्त की है व किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कालेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो
अ) शासकीय कालेज को देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा।
ब) प्रायवेट कालेज को देय शुल्क रुपये 1.5 लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो कम हो, राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा।
3. विद्यार्थियों द्वारा शैक्षणिक शुल्क व अन्य शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु www.scholarshipportal.mp.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कर, यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा विगत वर्ष में इस योजना का लाभ लिया हो तो वे इस वर्ष भी वे आवेदन कर सकते हैं।
4. डिप्लोमा के आधार पर द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने पर विद्यार्थियों को इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
5. विद्यार्थी पोर्टल पर लॉगिन कर योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन करेगा।
6. विद्यार्थी को अपना आधार नम्बर एवं माता पिता का असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक ऑनलाईन आवेदन में भरना होगा।
7. आवेदन करते समय विद्यार्थी को अंकारी परीक्षा की अंकसूची, प्रवेश परीक्षा की अंकसूची, शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क का विवरण एवं रसीद इत्यादि अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10 वी एवं 12 वी की अंकसूची, अलाटमेंट लेटर, प्रदेश पत्र एवं दालान की प्रतिलिपि, सम्प्रदाय, आई, आधार कार्ड, बैंक पास बुक की फोटोकापी एवं समस्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर करें। यदि विगत वर्ष में योजना का लाभ लिया हो तो नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ विगत वर्ष की उत्तीर्ण अंकसूची आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
8. विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन भरा हुआ आवेदन, प्रिन्ट कर मय दस्तावेजों के साथ संस्थान में जमा करना होगा।

समस्त मात्र विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र दिनांक 30/11/2022 तक पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप विभाग में जमा करें।



< निदेशक



प्रतिलिपि :-

- 1) समस्त नोटिस बोर्ड/होस्टल
- 2) संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।